न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 109/2013

तारीख दायरा : 29.04.2013

उनवान

1. हरनाम पुत्र प्रसादी।
2. रूपचन्द पुत्र प्रसादी।
3. दाताराम पुत्र प्रसादी।
4. राजेश कुमार पुत्र भीमसिंह ।
5. विजय सिंह पुत्र रामलाल ।
6. कमल सिंह पुत्र रामलाल।
7. कौशल्या बेवा शुभराम।
8. बब्बू पुत्र शभुराम ।
9. खिल्ली पुत्र शुभराम।
10. सुरेन्द्र पुत्र उदयराम।
11. महेन्द्र पुत्र उदयराम।
12. इमरती बेवा उदयराम जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.......वादीगण।

बनाम

1. गुरूमुखदास पुत्र गोविन्द।
2. हीरानन्द पुत्र गोविन्द।
3. रमेश चन्द पुत्र गोविन्द जाति खत्री निवासी कुशालबास तहसील मुण्डावर हाल आनन्द नगर खैरथल जिला अलवर।

.............प्रतिवादीगण।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री जी.आर.पटेल, अधिवक्ता ....वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांकः 22.7.19

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी गत ख.न. 111 रकबा 5.01, 112 रकबा 4.13 से हाल ख.न.125 रकबा 9.14 बीधा बने है। उक्त आराजी विवादित आराजी है। यह आराजी गोविन्द पुत्र रोचमल खत्री निवासी खुशालबास की

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो गोविन्द पुत्र रोचमल के फौत होने के बाद उक्त विवादित आराजी गोविन्द के वारिसान गुरूमुखदास, हीरानन्द, रमेशचन्द पुत्रान व मंहगी बाई बेवा गौविन्द को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी सनद प्रतिवादीगण ने प्राप्त कर ली थी और प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी ख.न. 125 का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.02.1982 को मिन वादीगण को कर दिया और वक्त खरीद से वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। बयनामा के आधार पर इतंकाल दर्ज करते समय विवादित आराजी के रकबा 0.34 है0 पर मिन वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया तथा शेष रकबे पर वादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के मृतक पिता का नाम 0.34 है0 पर चला आ रहा है जबकि प्रतिवादीगण को उक्त आराजी की सनद प्राप्त हो चुकी है और प्रतिवादीगण ने मिन वादीगण को उक्त विवादित आराजी का बेचान किया जा चुका है। इसलिए बयनामा के आधार पर वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण को पटवारी हल्का के पास रिकार्ड की नकल आदि लेने जाने पर हुई तो प्रतिवादीगण से रिकार्ड दुरूष्त कराने बाबत कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 14.04.2013 को साफ इन्कार कर दिया। अन्त में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ख.न.125 रकबा 2.45 हैक्टेयर वाके ग्राम खुशालबास में 0.34 है0 पर प्रतिवादीगण के मृतक पिता गोविन्द का नाम हजफ किया जाकर वादीगण 1 ला.3 को 3/5 भाग, वादीगण 4 व 5 को 1/4 भाग तथा वादी स. 6 को 1/2 भाग व वादीगण स. 7 ला.9 को 1/4 भाग दर 1/5 भाग तथा वादीगण स. 10 ला.12 को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो अभी निरन्तर है।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी श्री हरनामसिंह पी.ड. 1, श्री हुकमचन्द पी.ड.2, श्री मातादीन पी.ड.3 एवं श्री दाताराम पी.ड.4 के शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, जमाबन्दी स. 2066–69 प्रदर्श–2, आवंटन पट्टा विलेख प्रदर्श–3 एवं बयनामा प्रदर्श–4 पेश किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि विवादित आराजी विवादित आराजी को मिन वादीगण द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। बयनामा का इतंकाल करते समय 0.34 हैक्टेयर रकबा छोड़ दिया गया जबकि

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

बयनामा के आधार पर अन्य रकबे का इतंकाल दर्ज कर दिया गया। विवादित आराजी का सनद पट्टा विक्रेता द्वारा प्राप्त कर लिया गया था तथा खातेदारी दर्ज होने के उपरान्त आराजी का बेचान किया गया है। मिन वादीगण विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता है तथा बयनामा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के तथ्यों का कोई विरोध नहीं किया गया है। कब्जा भी वादीगण का वक्त खरीद से चला आ रहा है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पत्र को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख.न.111 मिन रकबा 5 बीधा 05 बिस्वा एवं 112 रकबा 4 बीधा 13 बिस्वा से हाल ख.न. 125 रकबा 9.14 बीधा बना है। नकल जमाबन्दी स.2066 ला.69 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी ख.न. 125 रकबा 2.45 हैक्टेयर पर प्रदीप कुमार राजेश कुमार पि. भीमसिंह 1/4 , विजयसिंह, कमलसिंह पुत्रान रामलाल 1/2 कौशल्या बेवा व बब्बू खिल्ली पुत्रान शुभराम1/4, दर हि. 1/5 सुरेन्द्र महेन्द्र पुत्रान व इतरती बेवा उदयराम समान भाग 1/5 दाताराम रूपचन्द हरनामसिंह पुत्रान प्रसादी समान भाग 3/5 दर 2.11 खातेदार गोविन्दराम पुत्र रोचमल खत्री सा. देह गैर खातेदार 0.34 हि. का अकंन दर्ज रेकार्ड है। बयनामा दिनांक 17.09.1981 के अनुसार गुरूमुखदास ,हीराचन्द रमेशचन्द पुत्रान गोविन्दराम मु. मंहगीबाई बेवा गोविन्दराम जाति खत्री निवासी खुशालबास द्वारा साबिक आराजी ख.न. 111 रकबा 5.03 बीधा एवं 112 मिन रकबा 3.06 बीधा को रामलाल,उदयराम,दाताराम,रूपचन्द,हरनामसिंह समभाग पुत्रान परसादीलाल को बेचान किया गया है।

उपरोक्त बयनामा से यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित होता है कि साबिक आराजी ख.न. 111 रकबा 5.3 बीधा व साबिक ख.न.112 मिन रकबा 3.06 बीधा कुल रकबा 8.09 बीधा वाके ग्राम खुशालबास को वादीगण सख्या 1 ला.3 एवं वादीगण सख्या 4 ला.12 के पिता शुभराम उदयराम वगैरा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा उक्त आराजी के मूल आवंटीयों से क्रय किया गया है। भू–प्रबन्ध के दौरान् उक्त आराजी का हाल नम्बर 125 कायम हुआ है तथा जमाबन्दी स. 2066 ला.69 के अनुसार क्रेतागण के नाम बयनामा के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में आ चुका है परन्तु ख.न. 125 का 0.34 है0 रकबा विक्रेतागण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बयनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल करते समय 0.34 है0 रकबा केतागण अर्थात वादीगण के नाम दर्ज करने से रह गया। क्योंकि बयनामा के आधार पर साबिक ख.न.111 व 112 के रकबे को मिलाकर ही हाल ख.न.125 बनाया गया है। चूंकि जब बयनामा के आधार पर ख.न.125 पर वादीगण का खातेदारी का इन्द्राज आ गया तो इसी खसरे के 0.34 है0 रकबे पर भी वादीगण के नाम का अकंन आना चाहिए था। क्योंकि वादीगण द्वारा साबिक ख.न.111 व 112 मिन का सम्पूर्ण रकबा ही बयनामा के आधार पर कय किया गया था जो हाल खसरे में मिलाकर हाल ख.न.125 कायम किया गया है।

जहां तक कब्जे काश्त का प्रश्न है वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में जो मौखिक साक्ष्य पी.ड.1 ला. पी.ड. 4 द्वारा भी विवादित आराजी पर वक्त खरीद से वादीगण का ही कब्जा काश्त जाहिर किया है। वादीगण के वाद पत्र में अंकित अभिवचनों का प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है ना ही वादीगण के अभिकथनो का कोई खण्डन हुआ है।इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत विवादित आराजी के रजिस्टर्ड बयनामा एवं वादीगण के अखण्डित अभिवचनों के आधार पर वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हम यह पाते है कि वादीगण अपना दावा दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहे है। लिहाजा दावा वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का दावा डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न.125 रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर में दर्ज गोविन्दराम पुत्र रोचमल खत्री सा.देह गैर खातेदार का अकंन कलमजन किया जाता है तथा उक्त आराजी का वादीगण 1 ला.3 को 3/5 भाग , वादीगण 4 व 5 को 1/4 भाग ,वादीगण 6 को 1/2 भाग एवं वादीगण स. 7 ला..9 को 1/4 भाग दर हि. 1/5 तथा वादीगण स. 10 ला.12 को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

(योगेश कुमार डगुर) 4/22/19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनांक 22.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डगुर) 4/22/19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 109/2013

तारीख दायरा : 29.04.2013

उनवान

1.हरनाम पुत्र प्रसादी।
2.रूपचन्द पुत्र प्रसादी।
3.दाताराम पुत्र प्रसादी।
4.राजेश कुमार पुत्र भीमसिंह ।
5.विजय सिंह पुत्र रामलाल ।
6.कमल सिंह पुत्र रामलाल।
7.कौशल्या बेवा शुभराम।
8.बब्बू पुत्र शभुराम ।
9.खिल्ली पुत्र शुभराम।
10.सुरेन्द्र पुत्र उदयराम।
11.महेन्द्र पुत्र उदयराम।
12.इमरती बेवा उदयराम जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर । ....वादीगण।

बनाम

1.गुरूमुखदास पुत्र गोविन्द।

2.हीरानन्द पुत्र गोविन्द।

3.रमेश चन्द पुत्र गोविन्द जाति खत्री निवासी कुशालबास तहसील मुण्डावर हाल आनन्द नगर खैरथल जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिकी दिनांक 22.7.19

वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख.न.125 रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम खुशालबास तहसील मुण्डावर में दर्ज गोविन्दराम पुत्र रोचमल खत्री सा.देह गैर खातेदार का अकंन कलमजन किया जाता है तथा उक्त आराजी का वादीगण 1 ला.3 को 3/5 भाग , वादीगण 4 व 5 को 1/4 भाग ,वादीगण 6 को 1/2 भाग एवं वादीगण स. 7 ला..9 को 1/4 भाग दर हि. 1/5 तथा वादीगण स. 10 ला.12 को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(योगेश कुमार डागुर) 22.7.19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner